न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 366 सन 2019
अनवान :–

1. हरिसिह पुत्र बेगाराम उर्फ बेगराज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर ।
2. कैलाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. भोजकुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
4. गोरीशंकर पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
5. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. रजनी पुत्री बेगाराम उर्फ बेगराज पत्नी बलवन्तसिह जाति जाट साकिन वार्ड न0 29 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रामदेई पुत्री बेगाराम उर्फ बेगराज पत्नी हसंराज जाति जाट साकिन श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मंजू पुत्री विमला पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
4. सुमन पुत्री विमला पत्नि बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
5. राजवन्ती पुत्री विमला पत्नि बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
6. भूपसिह पुत्र विमला पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
7. मैना पुत्री विमला पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
8. सरोज पुत्री बिमला पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
9. भूरीदेवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
10. भागवन्ती पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
11. मैनादेवी पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
12. तीजा पत्नी मोतीराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
13. प्रियंका पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
14. राकेश कुमार पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
15. रामीदेवी पत्नी कालूराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
16. अजयसिह पुत्र कालूराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
17. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ उज्जलवास तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता सख्या 61/60 की कुल 22.2640हैक भूमि पूर्व में वादी संख्य 1 के पिता व वादी संख्या 2 ता 5 के दादा बेगाराम उर्फ बेगराज के नाम से दर्ज थी बेगाराम उर्फ बेगराज का देहान्त हो चुका है जिसके जायज कानुनी वारिसान उसके पुत्र हरिसिह , इन्द्राज मोतीराम कालूराम पुत्री रजनी रामदेई विमला है जिसमें से इन्द्राज मोतीराम कालूराम एवं पुत्री विमला का देहान्त हो चुका है इसप्रकार बेगाराम उर्फ बेगराज एवं इन्द्राज मोतीराम व कालूराम व विमला के देहान्त होने के बाद बेगाराम के नाम दर्ज भूमि के जायज व काननुी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जिनके नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार भूमि दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 12 ,13 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 14

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के पक्ष में त्याग कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 15 ने अपने हक हिस्सा वादी संख्या 5 एव प्रतिवादी संख्या 16 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता / दादा बेगाराम उर्फ बेगराज के नाम से दर्ज थी बेगाराम उर्फ बेगराज के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ,15 ,जो वादी की बहन एवं बेगाराम उर्फ बेगराज की पुत्री/पौत्रीया/दोहितीया है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 14 , 16 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता सख्या 61/60 की कुल 22. 2640हैक भूमि पूर्व में वादी संख्य 1 के पिता व वादी संख्या 2 ता 5 के दादा बेगाराम उर्फ बेगराज के नाम से दर्ज थी बेगाराम उर्फ बेगराज का देहान्त हो चुका है जिसके जायज कानुनी वारिसान उसके पुत्र हरिसिह , इन्द्राज मोतीराम कालूराम पुत्री रजनी रामदेई विमला है जिसमें से इन्द्राज मोतीराम कालूराम एवं पुत्री विमला का देहान्त हो चुका है इसप्रकार बेगाराम उर्फ बेगराज एवं इन्द्राज मोतीराम व कालूराम व विमला के देहान्त होने के बाद बेगाराम के नाम दर्ज भूमि के जायज व काननुी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जिनके नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार भूमि दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 12 ,13 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 14 के पक्ष में त्याग कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 15 ने अपने हक हिस्सा वादी संख्या 5 एव प्रतिवादी संख्या 16 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646

उप खण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता सख्या 61/60 की कुल 22.2640हैक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से वर्तमाान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता बेगाराम उर्फ बेगराज एवं उसके पुत्रों इन्द्राज मोतीराम, कालूराम एवं पुत्री बिमला के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 12 ,13 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 14 के पक्ष में त्याग कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 15 ने अपने हक हिस्सा वादी संख्या 5 एव प्रतिवादी संख्या 16 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ,15 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 ,16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ,15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 61/60 की कुल 22.2640हैक भूमि में वादी न0 1 का 1/16 हिस्सा वादी संख्याा 2 ,3 का बहिब 1/16 हिस्सा वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 14 बहिब 1/16 हिस्सा वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 16 बहिब 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरिसिह पुत्र बेगाराम उर्फ बेगराज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर ।
2. कैलाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. भोजकुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
4. गोरीशंकर पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
5. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. रजनी पुत्री बेगाराम उर्फ बेगराज पत्नी बलवन्तसिह जाति जाट साकिन वार्ड न0 29 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रामदेई पुत्री बेगाराम उर्फ बेगराज पत्नी हसंराज जाति जाट साकिन श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मंजू पुत्री विमला पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
4. सुमन पुत्री विमला पत्नि बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
5. राजवन्ती पुत्री विमला पत्नि बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
6. भूपसिह पुत्र विमला पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
7. मैना पुत्री विमला पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
8. सरोज पुत्री बिमला पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन घोटडा पटटा तहसील भादरा
9. भूरीदेवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
10. भागवन्ती पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
11. मैनादेवी पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
12. तीजा पत्नी मोतीराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
13. प्रियंका पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
14. राकेश कुमार पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
15. रामीदेवी पत्नी कालूराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
16. अजयसिह पुत्र कालूराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर
17. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ उज्जलवास तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 366 सन 2019 निर्णय दिनांक– 10/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 61/60 की कुल 22.2640हैक भूमि में वादी न0 1 का 1/16 हिस्सा वादी संख्या 2 ,3 का बहिब 1/16 हिस्सा वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 14 बहिब 1/16 हिस्सा वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 16 बहिब 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)